ADITYA BIRLA

HINDALCO

HIL/Mine/GP IV-5/Forest/2020-21/..06-81.......

Date: 24/06/2020

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल
रायगढ़ (छत्तीसगढ)

विषयः— मेसर्स हिंडाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को रायगढ़ जिले के तमनार तहसील अंतर्गत प्रस्तावित ग्राम – बांजीखोल में स्थित सोलर प्लांट से गारे पेलमा IV/5 सब स्टेशन, मिलुपारा तक 11 के0व्ही0 भूमिगत विद्युत प्रेषण लाईन में 0.011 हे. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने बाबत्।

संदर्भः—

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक रायपुर छत्तीसगढ़ के कार्यालीन पत्र क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–281/887.दिनांक 11/05/2020
2. कार्यालय वनमंडलाधिकारी,रायगढ़ वनमंडल, रायगढ़ का पत्र क्रमांक/तक.अधि./2979/2020/रायगढ़ दिनांक 20.05.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में लेख है कि मेसर्स हिंडाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को रायगढ़ जिले के तमनार तहसील अंतर्गत प्रस्तावित ग्राम – बांजीखोल में स्थित सोलर प्लांट से गारे पेलमा IV/5 सब स्टेशन, मिलुपारा तक 11 के0व्ही0 भूमिगत विद्युत् प्रेषण लाईन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त 11 के0व्ही0 भूमिगत विद्युत् प्रेषण लाईन हेतु प्रभावित वन भूमि का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। तथा फार्म 1 में आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में पंजीयन क्रमांक FP/CG/TRANS/45302/2020 संदर्भित ज्ञापन द्वारा प्राप्त किया गया है।

उपरोक्त 11 के0व्ही0 भूमिगत विद्युत् प्रेषण लाईन कुल भूमि रकबा 0.066 हे. में से रकबा 0.011 हे. वनभूमि रायगढ़ वनमण्डल में प्रभावित हो रही है। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

वनमण्डल का नाम	वन भूमि रकबा (हेक्टेयर में)	राजस्व वन भूमि रकबा (हेक्टेयर में)	रकबा (हेक्टेयर में)
रायगढ़	0.011	0.000	0.011

Hindalco Industries Limited
Gare Palma Mines (IV/4 & IV/5), Vill & Po: Milupara , Tehsil: Tamnar Dist: Raigarh- 496107 , Chhattisgarh
T: +91 7762 228212, Website : www.hindalco.com E mail : hindalco@adityabirla.com
Registered Office : Ahura Centre, 1st Floor, B Wing, Mahakali Caves Road Andheri (East) , Mumbai 400093, India
T: + 912266917000 | Fax: + 912266917001
Corporate ID No: L27020MH1958PLC011238

उपरोक्त प्रभावित वन भूमि 0.011 हे0 (1 हे. तक के प्रकरण) के विरूद्ध वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भारत सरकार के नवीन मार्गदर्शी हैंडबुक के पृष्ठ क्रमांक 48 के पारा 2.6.(i) के अनुसार यदि कोई वृक्ष विदोहन होता है तो उसका 10 गुना वृक्ष लगाने या यदि कोई वृक्ष विदोहन नही होता है तो न्युनतम 100 वृक्ष के दर से 10 वर्षीय रखरखाव में जो लागत आवेगा। वह लागत आवेदक संस्थान द्वारा प्रदाय किया जावेगा।

उपरोक्त वन भूमि व्यापवर्तन प्रस्ताव हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित नवीन चेक लिस्ट अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक जानकारी एवं अभिलेख संबधित विभाग से प्राप्त कर तैयार कर प्रस्तुत है।

अतः वनभूमि व्यापवर्तन का प्रस्ताव आवश्यक स्वीकृति हेतु वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ को अग्रेषित करने हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नः— प्रस्ताव नवीन चेक लिस्ट अनुसार।
05 प्रतियों में

अधिकृत अधिकारी
मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड
गारे पेलमा IV/5 कोल माईन,
मिलूपारा, रायगढ़ (छ.ग.)